

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936

No. 254]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

फा.सं. 9/1/2013-ईसीबी.—केंद्रीय सरकार भारत से बाहर निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम को सुगम बनाने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. प्रारंभिक

- 1. इस स्कीम को निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 कहा जा सकेगा।
- 2. यह स्कीम 15 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त होगी।
- 3. इस स्कीम के उपबंध संबंधित प्राधिकरणों, अर्थात, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

2. परिभाषाएं

- 1. इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "निक्षेपागार प्राप्ति" से अभिप्रेत ऐसी विदेशी मुद्रा अंकित लिखत, अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो अथवा नहीं, से है जो अनुज्ञेय अधिकारिता में विदेशी निक्षेपागार द्वारा उस विदेशी निक्षेपागार को निर्गमित अथवा अंतरित अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के आधार पर निर्गमित की गई हो तथा देशी अभिरक्षक के पास जमा की गई हो और इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (44) में यथापरिभाषित "वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति" शामिल है;
 - (ख) "देशी अभिरक्षक" से अभिप्रेत इस स्कीम के अधीन अभिरक्षक के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेबी से अनुमत प्रतिभूतियों के अभिरक्षक, भारतीय निक्षेपागार, निक्षेपागार सहभागी, अथवा बैंक से है;
 - (ग) "विदेशी निक्षेपागार" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जिसे :
 - (i) अनुज्ञेय प्रतिभूतियों को अर्जित करने से प्रतिषिद्ध किया गया हो;
 - (ii) अनुज्ञेय अधिकारिता में विनियमित किया गया हो; तथा

- (iii) अनुज्ञेय अधिकारिता में निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम करने की विधिक हैसियत प्राप्त हो;
- (घ) **"आईसीडीआर**" से अभिप्रेत सेबी (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 से है।
- (ङ) "भारतीय निक्षेपागार" से अभिप्रेत निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन निक्षेपागार से है।
- (च) "अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज" से अभिप्रेत निक्षेपागार प्राप्तियों का व्यापार करने के लिए ऐसे प्लेटफार्म से है, जो :
 - (i) अनुज्ञेय अधिकारिता में हो;
 - (ii) व्यापार के लिए सार्वजनिक पहुंच में हो; तथा
 - (iii) सर्वजन को पूर्व-व्यापार तथा पश्च-व्यापार पारदर्शिता उपलब्ध कराता हो;
- (छ) "अनुज्ञेय अधिकारिता" से अभिप्रेत ऐसी विदेशी अधिकारिता से है :
 - (i) जो धन-शोधन संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल का सदस्य हो
 - (ii) उस अधिकारिता में प्रतिभूति बाजार का विनियामक इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ सिक्यूरिटीज कमीशन्स का सदस्य हो;

स्पष्टीकरण : अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार अनुज्ञेय अधिकारिताओं की सूची अनुबंध-1 पर दी गई है।

- (ज) "अनुज्ञेय प्रतिभूतियों" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) के अधीन यथापरिभाषित "प्रतिभूतियों" से है तथा इनमें निजी कंपनियों द्वारा निर्गमित ऐसी समनुरूप लिखतें शामिल हैं जो :
 - (i) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जित की जा सकेगी; तथा
 - (ii) अमूर्त रूप में हो।
- (झ) "मतदान अनुदेश जारी करने का अधिकार" से अभिप्रेत निक्षेपागार प्राप्ति धारक द्वारा अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के संबंध में उसकी ओर से एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए विदेशी निक्षेपागार को निदेश देने के अधिकार से है।
- (অ) "सेबी" से अभिप्रेत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है।
- (ट) "अप्रायोजित निक्षेपागार प्राप्तियों" से अभिप्रेत अंतर्निहित अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता के विशिष्ट अनुमोदन के बिना निर्गमित निक्षेपागार प्राप्तियों से है।
- 2. इस स्कीम में प्रयुक्त तथा परिभाषित किए गए लेकिन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के उन अधिनियमों में, जैसा भी मामला हो, क्रमश: उनके संबंध में दिए गए अनुसार ही अर्थ होंगे।

3. पात्रता

- 1. निम्नलिखित व्यक्ति, निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजनार्थ विदेशी निक्षेपागार को अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का निर्गम अथवा अंतरण करने के लिए पात्र हैं :
 - (क) 🌎 कोई भी भारतीय कंपनी, सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध, निजी या सरकारी;
 - (ख) अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का कोई अन्य निर्गमकर्ता;
 - (ग) अनुज्ञेय प्रतिभूतियों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

जिसे पूंजी बाजार में अभिगमन करने अथवा प्रतिभूतियों में व्यवसाय करने से विशेषत: प्रतिषिद्ध न किया गया हो।

- 2. सूचीबद्ध अनुज्ञेय प्रतिभूतियों की वापसी पर अप्रायोजित निक्षेपागार प्राप्तियां केवल तभी निर्गमित की जा सकती हैं यदि ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियां :
 - (क) धारक को मतदान अनुदेश जारी करने का अधिकार देती हों; और
 - (ख) अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों

4. निर्गम

- 1. विदेशी निक्षेपागार, अनुज्ञेय अधिकारिता में सार्वजनिक प्रस्ताव देकर अथवा निजी नियोजन या किसी अन्य प्रचलित प्रणाली द्वारा निक्षेपागार प्राप्तियां जारी कर सकेगा।
- 2. कोई निर्गमकर्ता, निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजनार्थ विदेशी निक्षेपागार को अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का किसी ऐसी रीति द्वारा निर्गम कर सकेगा जो निवेशकों को ऐसी अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का निर्गम करने के लिए अनुमत हो।
- अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के धारक निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजनार्थ विदेशी निक्षेपागार को अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का अंतरण ऐसी अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता के अनुमोदन से अथवा बिना अनुमोदन के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेनों के माध्यम से, द्विपक्षीय लेनदेनों से अथवा सार्वजनिक प्लेटफार्म के जिए निविदा द्वारा कर सकेंगे।

5. परिसीमा

1. निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के लिए विदेशी निक्षेपागार को निर्गमित अथवा अंतरित की जा सकने वाली अनुज्ञेय प्रतिभूतियों, भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा पहले से धारित अनुज्ञेय प्रतिभूतियों को मिलाकर, का योग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसी अनुज्ञेय प्रतिभूतियों की विदेशी धारिता (होल्डिंग) से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ, किसी कंपनी में साधारणत: X% तक विदेशी निवेश अनुमत है। तथापि, यह आम सभा की बैठक में कंपनी के अनुमोदन से Y% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसे अनुमोदन को मंजूरी प्रदान नहीं की गई, तो प्रायोजित अथवा अप्रायोजित अनुज्ञेय प्रतिभूतियां जिन पर निक्षेपागार प्राप्तियां निर्गमित की जा सकेंगी, X% से अधिक नहीं हो सकतीं।

2. निक्षेपागार प्राप्तियां, उप-पैरा 1 में दी गई परिसीमा के अध्यधीन, अंतर्निहित अनुज्ञेय प्रतिभूतियों में और अंतर्निहित अनुज्ञेय प्रतिभूतियां, निक्षेपागार प्राप्तियों में संपरिवर्तित की जा सकेंगी।

6. मूल्य निर्धारण

किसी विदेशी निक्षेपागार को निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम करने के प्रयोजनार्थ देशी निवेशकों पर लागू कानूनों के अधीन उनको ऐसी प्रतिभूतियों का निर्गम करने की तदुनरूपी रीति पर लागू होने वाले मूल्य से कम मूल्य पर अनुज्ञेय प्रतिभूतियां निर्गमित नहीं की जाएंगी।

स्पष्टीकरण 1: किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी अथवा सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कंपनी किसी विदेशी निक्षेपागार को निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम करने के प्रयोजनार्थ **आईसीडीआर** के अधीन निवेशकों को उसी श्रेणी के इक्विटी शेयरों के तरजीह आबंटन पर लागू होने वाले मूल्य से कम मूल्य पर तरजीही आबंटन संबंधी इक्विटी शेयरों का निर्गम नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण 2 : इसी तरह, जहां कोई सूचीबद्ध कंपनी निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजनार्थ विदेशी निक्षेपागार को अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का अर्हित संस्थागत नियोजन (प्लेसमेंट) करती है, वहां ऐसे नियोजन के लिए **आईसीडीआर** के अधीन यथा प्रवृत्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण मानदंड का अनुपालन किया जाएगा।

7. अधिकार और कर्त्तव्य

- 1. विदशी निक्षेपागार, अनुज्ञेय प्रतिभूतियों से जुड़े मतदान के अधिकारों, यदि कोई हों, का निक्षेपागार प्राप्तियों के धारक से मतदान संबंधी अनुदेश के अनुसार या अन्यथा प्रयोग करने का हकदार होगा।
- अंतर्निहित निक्षेपागार प्राप्तियों के अंतर्गत किसी कंपनी के शेयर, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के अधीन कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारिता का भाग होंगे यदि:
 - (क) ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियों के धारक के पास मतदान संबंधी अनुदेश जारी करने का अधिकार हो; और
 - (ख) ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियां अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
- 3. उप-पैराग्राफ 2 के दायरे से बाहर के मामलों में, अंतर्निहित निक्षेपागार प्राप्तियों के अंतर्गत कंपनी के शेयर कंपनी के सार्वजिनक शेयरधारिता (शेयर होल्डिंग) की गणना करने के प्रयोजन से कुल शेयर धारिता और सार्वजिनक शेयरधारिता में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- 4. किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर जारी की गई निक्षेपागार प्राप्तियों के धारक को यदि मतदान संबंधी अनुदेश जारी करने का अधिकार हो तो इसके वही दायित्व होंगे मानो यह अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का धारक है।

8. दायित्व

1 देशी अभिरक्षक:

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम और निरसन संबंधी स्कीम के संगत उपबंधों का अनुपालन किया जाता है;
- (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुवीक्षण सीमाओं के प्रयोजनार्थ निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम और निरसन के स्वरूप वाले सभी कारोबारों से जुड़े अभिलेखों का रखरखाव करेगा और भारतीय निक्षेपागार को इसकी सूचना देगा;
 - (ग) सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा किसी अन्य विधिक प्राधिकरण द्वारा मांगी जा सकने वाली सूचना एवं डाटा उपलब्ध करवाएगा; और
 - (घ) किसी भी नाम वाले ऐसे दस्तावेज की प्रति सेबी में दाखिल करेगा, जिससे अनुज्ञेय अधिकारिता में, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) के अधीन यथापरिभाषित प्रतिभूतियों के आधार पर निर्गमित निक्षेपागार प्राप्तियों को जारी करने के संबंध में शर्तें तय हैं। स्पष्टीकरण: उप-पैराग्राफ 1घ के अंतर्गत यह दायित्व प्रतिभूतियों के संबंध में है न कि अनुज्ञेय प्राप्तियों के संबंध में।
- 2. भारतीय निक्षेपागार अपने में समन्वय करेंगे और :
 - (क) ऐसी बकाया अनुज्ञेय प्रतिभूतियों का प्रचार-प्रसार करेंगे जिन पर निक्षेपागार प्राप्तियां बकाया हों; और
 - (ख) उस परिसीमा को सार्वजनिक करेंगे जिस तक अनुज्ञेय प्रतिभूतियों को निक्षेपागार प्राप्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 3. निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजन के लिए विदेशी निक्षेपागार को अनुज्ञेय प्रतिभूतियां निर्गमित या अंतरित करने वाला व्यक्ति निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम और निरसन से जुड़े भारतीय कानून के संगत उपबंधों, इस स्कीम सहित, का अनुपालन करेगा।

9. अनुमोदन

- भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के निर्गम या अंतरण के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी निक्षेपागार के लिए ऐसी अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के निर्गम या अंतरण पर लागू होगा।
- उप-पैराग्राफ 1 के अध्यधीन, निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के लिए किसी सरकारी अभिकरण से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा यदि निर्गम इस स्कीम के अनुसार हुआ हो।
 - स्पष्टीकरण : यदि निक्षेपागार प्राप्तियों में अंतर्निहित अनुज्ञेय प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा तो ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

10. बाजार का दुरूपयोग

- 1. यह स्पष्ट िकया जाता है कि निक्षेपागार प्राप्तियों या निक्षेपागार प्राप्तियों के बाजार का जानबूझकर या अन्यथा इस ढंग से किसी प्रकार का दुरूपयोग जिससे भारतीय प्रतिभूति बाजार में दुरूपयोग होने की संभावना हो या दुरूपयोग हुआ हो, बाजार का दुरूपयोग है और इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- 2. इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, बाजार का दुरूपयोग से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अध्याय Vक के अध्यधीन प्रतिषिद्ध कोई गतिविधि अभिप्रेत है।

11. निरसन और बचत

- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जरिए) निर्गम योजना, 1993 को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से जुड़ी स्थिति के सिवाय निरस्त कर दिया जाएगा।
- 2. ऐसे निरसन के बावजूद विदेशी, मुद्रा परिवर्तनीय बांड और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जिरए) निर्गम स्कीम, 1993 के अध्यधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस स्कीम के तदनुरूप उपबंधों के अध्यधीन की जा चुकी कोई बात या की जा चुकी कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची 1 : अनुज्ञेय अधिकारिता

- 1. अर्जेन्टीना
- 2. ऑस्ट्रेलिया
- 3. ऑस्ट्रिया
- 4. बेल्जियम
- 5. ब्राजील
- 6 कनाडा
- 7. चीन
- 8. डेनमार्क
- 9. यूरोपियन कमीशन
- 10. फिनलैंड
- 11. फ्रांस
- 12. जर्मनी
- 13. ग्रीस
- 14. हांग कांग, चीन
- 15. आइसलैंड
- 16. आयरलैंड
- 17. इटली

- 18. जापान
- 19. कोरिया गणराज्य
- 20. लक्समबर्ग
- 21. मेक्सिको
- 22. किंगडम ऑफ नीदरलैण्ड
- 23. न्यूजीलैंड
- 24. नॉर्वे
- 25. पुर्तगाल
- 26. रूसी संघ
- 27. सिंगापुर
- 28. दक्षिण अफ्रीका
- 29. स्पेन
- 30. स्वीडन
- 31. स्विट्जरलैंड
- 32. तुर्की
- 33. यूनाइटेड किंगडम
- 34. संयुक्त राज्य अमेरिका

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (एफ एम)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October 2014

F. No. 9/1/2013-ECB.—The Central Government hereby notifies the following scheme for facilitating issue of depository receipts outside India, namely:—

1. Preliminary

- 1. This Scheme may be called the Depository Receipts Scheme, 2014.
 - 1. This Scheme shall come into force with effect from December 15, 2014.
 - 2. The provisions of this Scheme shall be implemented by the respective authorities, namely, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Finance.

2. Definitions

- 1. In this Scheme, unless the context otherwise requires :—
 - (a) 'depository receipt' means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of permissible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes 'global depository receipt' as defined in section 2(44) of the Companies Act, 2013;
 - (b) 'domestic custodian' means a custodian of securities, an Indian depository, a depository participant, or a bank and having permission from SEBI to provide services as custodian under this Scheme;
 - (c) 'foreign depository' means a person which:
 - i. is not prohibited from acquiring permissible securities;
 - ii. is regulated in a permissible jurisdiction; and
 - iii. has legal capacity to issue depository receipts in the permissible jurisdiction;
 - (d) 'ICDR' means the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.(e) 'Indian depository' means a depository under the Depositories Act, 1996;
 - (f) 'International exchange' means a platform for trading of depository receipts, which:

- i. is in a permissible jurisdiction;
- ii. is accessible to the public for trading; and
- iii. provides pre-trade and post-trade transparency to the public;
- (g) 'permissible jurisdiction' means a foreign jurisdiction:
 - i. which is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering; and
 - ii. the regulator of the securities market in that jurisdiction is a member of the International Organisation of Securities Commissions;

Explanation: The list of permissible jurisdictions as on the date of notification is at Schedule 1.

- (h) 'permissible securities' mean 'securities' as defined under section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include similar instruments issued by private companies which:
 - i. may be acquired by a person resident outside India under the Foreign Exchange Management Act, 1999; and
 - ii. is in dematerialised form.
- (i) 'right to issue voting instruction' means the right of a depository receipt holder to direct the foreign depository to vote in a particular manner on its behalf in respect of permissible securities.
- (j) 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India.
- (k) 'unsponsored depository receipts' mean depository receipts issued without specific approval of the issuer of the underlying permissible securities.
- 2. Words and expressions used and not defined in this Scheme but defined in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or the Depositories Act, 1996 or the Companies Act, 2013 or the Reserve Bank of India Act, 1934 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or Prevention of Mone Laundering Act, 2002 and rules and regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them, as the case may be, in those Acts.

3. Eligibility

- 1. The following persons are eligible to issue or transfer permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts:
 - (a) any Indian company, listed or unlisted, private or public; (b) any other issuer of permissible securities;
 - (c) any person holding permissible securities;

which has not been specifically prohibited from accessing the capital market or dealing in securities.

- 2. Unsponsored depository receipts on the back of listed permissible securities can be issued only if such depository receipts:
 - (a) give the holder the right to issue voting instruction; and
 - (b) are listed on an international exchange.

4. Issue

- 1. A foreign depository may issue depository receipts by way of a public offering or private placement or in any other manner prevalent in a permissible jurisdiction.
- 2. An issuer may issue permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts by any mode permissible for issue of such permissible securities to investors.
- 3. The holders of permissible securities may transfer permissible securities to a foreign depository for the purpose of the issue of depository receipts, with or without the approval of issuer of such permissible securities, through transactions on a recognized stock exchange, bilateral transactions or by tendering through a public platform.

5. Limits

1. The aggregate of permissible securities which may be issued or transferred to foreign depositories for issue of depository receipts, along with permissible securities already held by persons resident outside India, shall not exceed the limit on foreign holding of such permissible securities under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

Explanation: For example, foreign investment in a company is ordinarily permissible up to x%. However, it

can be increased up to y% with the approval of the company in the general body meeting. If no such approval has been granted, the permissible securities on which depository receipts may be issued, whether sponsored or unsponsored, cannot exceed x%.

2. The depository receipts may be converted to underlying permissible securities and vice versa, subject to the limit in sub-paragraph 1.

6. Pricing

The permissible securities shall not be issued to a foreign depository for the purpose of issuing depository receipts at a price less than the price applicable to a corresponding mode of issue of such securities to domestic investors under the applicable laws.

Explanation 1: A company listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange shall not issue equity shares on preferential allotment to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts at a price less than the price applicable to preferential allotment of equity shares of the same class to investors under the ICDR.

Explanation 2: Likewise, where a listed company makes a qualified institutional placement of permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts, the minimum pricing norms for such placement as applicable under the ICDR shall be complied with.

7. Rights and duties

- 1. The foreign depository shall be entitled to exercise voting rights, if any, associated with the permissible securities, whether pursuant to voting instruction from the holder of depository receipts or otherwise.
- 2. The shares of a company underlying the depository receipts shall form part of the public shareholding of the company under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, if:
 - (a) the holder of such depository receipts has the right to issue voting instruction; and
 - (b) such depository receipts are listed on an international exchange.
- 3. In the cases not covered under sub-paragraph 2, shares of the company underlying depository receipts shall not be included in the total shareholding and in the public shareholding for the purpose of computing the public shareholding of the company.
- 4. A holder of depository receipts issued on the back of equity shares of a company shall have the same obligations as if it is the holder of the underlying equity shares if it has the right to issue voting instruction.

8. Obligations

- 1. The domestic custodian shall:
 - (a) ensure that the relevant provisions of the Scheme related to the issue and cancellation of depository receipts is complied with;
 - (b) maintain records in respect of, and report to, Indian depositories all transactions in the nature of issue and cancellation of depository receipts for the purpose of monitoring limits under the Foreign Exchange Management Act, 1999;
 - (c) provide the information and data as may be called upon by SEBI, the Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs and any other authority of law; and
 - (d) file with SEBI a copy of the document, by whatever name called, which sets the terms of issue of depository receipts issued on the back of securities, as defined under section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, in a permissible jurisdiction.
 - Explanation: This obligation under sub-paragraph 1d is in respect of securities, and not permissible securities.
- 2. Indian depositories shall coordinate among themselves and disseminate:
 - a. the outstanding permissible securities against which the depository receipts are outstanding; and,
 - b. the limit up to which permissible securities can be converted to depository receipts.
- 3. A person issuing or transferring permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts shall comply with relevant provisions of the Indian law, including the Scheme, related to the issue and cancellation of depository receipts.

9. Approval

- 1. Any approval necessary for issue or transfer of permissible securities to a person resident outside India shall apply to the issue or transfer of such permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts.
- 2. Subject to sub-paragraph 1, the issue of depository receipts shall not require any approval from any government agency if the issuance is in accordance with the Scheme.

Explanation: If the issue of permissible securities underlying the depository receipts does not require approval under the Foreign Exchange Management Act, 1999, no approval will be required for issue of such depository receipts.

10. Market Abuse

- 1. It is clarified that any use, intended or otherwise, of depository receipts or market of depository receipts in a manner, which has potential to cause or has caused abuse of the securities market in India, is market abuse and shall be dealt with accordingly.
- 2. For the purpose of this paragraph, 'market abuse' means any activity prohibited under Chapter VA of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

11. Repeal and Savings

- 1. The Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 shall be repealed except to the extent relating to foreign currency convertible bonds.
- 2. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Scheme.

Schedule 1 : Permissible Jurisdictions

- 1. Argentina
- 2. Australia
- 3. Austria
- 4. Belgium
- 5. Brazil
- 6. Canada
- 7. China
- 8. Denmark
- 9. European Commission
- 10. Finland
- 11. France
- 12. Germany
- 13. Greece
- 14. Hong Kong, China
- 15. Iceland
- 16. Ireland
- 17. Italy

- 18. Japan
- 19. Republic of Korea
- 20. Luxembourg
- 21. Mexico
- 22. The Netherlands
- 23. New Zealand
- 24. Norway
- 25. Portugal
- 26. Russian Federation
- 27. Singapore
- 28. South Africa
- 29. Spain
- 30. Sweden
- 31. Switzerland
- 32. Turkey
- 33. United Kingdom
- 34. United State

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (FM)